भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1365

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 फरवरी, 2018/20 माघ, 1939 (शक) को दिया जाना है)

आयुर्वेद पर जीएसटी

†1365. **डॉ. उदित राजः**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को आयुर्वेद हेतु कर स्लैब को तय करने में माल तथा सेवा कर (जीएसटी) में विसंगतियों को दूर करने का अनुरोध करते हुए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या सरकार का जीएसटी व्यवस्था में आयुर्वेद से संबंधित विवादित स्लैबों की पुनः जांच करने का विचार है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्यमंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क) आयुर्वेदिक दवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस पर विचार करते हुए जीएसटी परिषद ने मेडिकामेंट (आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपेथिक या बायो-कैमिक सिस्टम), जो विशेष रूप से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 (1940 का 23) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट आधिकारिक पुस्तकों में उल्लिखित फार्मूलों या होम्योपैथिक फर्माकोपोइया या जर्मन होम्योपैथिक फर्माकोपोइया जैसा भी मामला हो, के अनुसार विनिर्मित की गई हो तथा जिन्हें अधिसूचना सं. 34/2017-केंद्रीय कर(दर), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित उन पुस्तकों या फर्माकोपोइया में यथा विनिर्दिष्ट नाम के अंतर्गत बेचा जाता है, पर जीएसटी दरों में कटौती करके 12% से 5% करने की सिफारिश की थी।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****